2023 का विधेयक संख्यांक 117.

[दि जम्मू एंड कश्मीर रिआर्गेनाइजेशन (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2019 का 34

नई धारा 14क और धारा 14ख का अंत:स्थापन ।

2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण ।

"14क. (1) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

(2) धारा 14 की उपधारा (7) के अधीन आरक्षित कुल स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित हैं), ऐसी रीति में, जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना ।

14ख. (1) इस अधिनियम के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित उपबंध जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात् पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात् प्रभावी होंगे तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे ।

(2) धारा 14क के उपबंधों के अधीन रहते हुए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का ऐसी तारीख तक, जो संसद् विधि द्वारा, अवधारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा ।

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम ऐसे पश्चातवर्ती परिसीमन कार्य के पश्चात् उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(4) धारा 14क की कोई बात जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि उस समय विद्यमान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संसद् ने संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023, लोक सभा ; प्रत्येक राज्य की विधान सभा ; और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में कुल स्थानों के एक-तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अधिनियमित किया है ।

2. संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का समान उपबंध करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का संसद् द्वारा संशोधन किया जाना भी अपेक्षित है ।

3. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया में लोक प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं का वृहत प्रतिनिधित्व और भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है, जिससे जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में कुल स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध किया जा सके ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
8 दिसंबर, 2023

अमित शाह